राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........21 / 2017...................................... जिला ....हनुमानगढ़...

उनवान : मैसर्स गणपति जिनर्स एण्ड राईस मिल्स, भद्रकाली रोड़, हनुमानगढ़ टाउन

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री के. एल. जैन, सदस्य**	
11 / 01 / 2017	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 142 / 2016–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 02.01.2015 को किया जाकर, मौके पर पायी गयी अनियमितताओं एवं व्यवहारी के अन्तर्राज्यीय विक्रय से सम्बन्धित घोषणा पत्र 'सी' के बकाया रहने के आधार पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 25 व 55 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.10.2016 को पारित करते हुए कर व ब्याज के रूप में कुल रूपये 70,69,877 / – का आरोपण आदेश दिनांक 20.10.2016 को किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त राशि में से रूपये 67,69,877 / – की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 10,18,214 / – की राशि पर स्थगन स्वीकार किया गया तथा शेष राशि रूपये 57,51,663 / – वसूलनीय अवधारित की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 57,51,663 / – की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विक्रम गोगरा तथा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। लगातार..............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या...........21 / 2017....................................... जिला ....हनुमानगढ़...

उनवान : मैसर्स गणपति जिनर्स एण्ड राईस मिल्स, भद्रकाली रोड़, हनुमानगढ़ टाउन

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11 / 01 / 2017	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** बकाया राशि रूपये 57,51,663 / – में से रूपये 50,00,000 / – की राशि राजकोष में जमा करवाये जाने की शर्त पर शेष राशि की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में रूपये 50,00,000 / – की राशि राजकोष में जमा करवाये जाने सम्बन्धी चालान एवं शेष राशि बाबत् कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	